न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

वाद प्रकार–विविध (आंगनबाड़ी) वाद सं0– 28/2015 सुनीता कुमारी वनाम जिला प्रोग्राम पदा0,खगड़िया (रीताकुमारी)

21/15–16

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.1.2017	*आदेश* उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 38/2015 सुनीता कुमारी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयननुक्ति के मामले में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अपीलवाद में कहा गया है कि अपीलार्थी ने अपने पोषक क्षेत्र वार्ड नं0–12 में हुए घोर अनियमितता के विरूद्ध एक अपील जिला पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के न्यायालय में अपील दायर किया। प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा एक ही प्रकृति के तीन वाद का सुनवाई एक साथ किया गया और अपील को स्वीकृत किया एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया। इस वाद से संबंधित सम्पूर्ण घटना क्रम की जानकारी के साथ एक आवेदन अपीलार्थी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को दिया एवं आई.सी.डी.एस. निदेशिका की धारा 8.3 के अन्तर्गत अपीलार्थी ने अपने चयन हेतु अनुरोध किया। लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम द्वारा उनकी चयन नहीं कर दूषित प्रक्रिया अपनाते हुए विपक्षी रीता कुमारी का चयन कर लिया। अपीलार्थी ने माननीय प्रमंडलीय आयुक्त, मंगेर के यहाँ एक विविध वाद दायर किया जो आई.सी.डी.एस.की संशोधित कंडिका के संशोधन के फलस्वरूप वाद को सुनवाई हेतु न्यायालय उप निदेशक कल्याण, मुंगेर को प्रेषित कर दिया गया। उप निदेशक ने वाद में विधि संगत आदेश पारित करने हेतु न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ प्रेषित कर दिया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने पारित आदेश दिनांक 11.05.15 में स्पष्ट करते	

प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया का प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध, स्वेच्छाचारी एवं क्षेत्राधिकार के विरूद्ध है, इससे न्याय की हत्या हो गयी है। विपक्षी का उम्र प्रमाण पत्र फर्जी है। विपक्षी की वास्तविक उम्र अभी 55 साल की है जबकि उनके प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 26.06.1987 दर्ज है। मजेदार तथ्य यह है कि उनकी पुत्री के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 05.04.1990 दर्ज है। मार्गदर्शिका 2010 के कंडिका 4.2 के अनुसार सेविका चयन हेतु न्यूनतम उम्र 18 साल की आर्हता होती है तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष होती है। इससे अधिक उम्र के सेविका का चयन अवैध होता है। निम्न न्यायालय ने भी अपने आदेश में विपक्षी रीता देवी के बच्चे बड़े होने की बात स्वीकार किया है। लेकिन प्रस्तुत किये गये ठोस साक्ष्य के रूप में माता एवं पुत्री के शिक्षा प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि की विवेचना नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब क्षांत कर अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत करने, पक्षकारों को नोटिस करने, निम्न न्यायालय का अभिलेख तलब करने तथा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी रीता कुमारी की ओर से कारण पृच्छा दायर किया गया। कारण पृच्छा में उनका कहना है कि चौथम ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम–नवादा वार्ड नं0–12 केन्द्र सं0–153 में आंगनबाड़ी सेविका चयन हेतु विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए आम सभा का अयोजन किया गया और मेघा अंक के आधार पर विधिसम्मत आम सभा द्वारा उनका चयन किया गया। उक्त के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर योगदान किया और तब से लगातार सेवा में कार्यरत है और किसी प्रकार का शिकायत उनके विरूद्ध नहीं है। इसके पूर्व भी अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता के न्यायालय में आंगनबाड़ी सेविका अपील वाद सं–3/14 दाखिल किया था, लेकिन अपील अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया है। यदि उनका मैट्रिक एवं इंटर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी है तो इसकी जॉच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से करायी जाय। अपीलार्थी ने उनके विरूद्ध यह भी आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची और शैक्षणिक प्रमण पत्र में उम्र में बहुत अन्तर है। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1025 दिनांक 27.09.13 द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र को सही माना गया है और मतदाता सूची में दर्ज उम्र को मानक नहीं माना गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उनका आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन बिल्कुल वैध और कानूनी रूप से सही है। अपीलार्थी द्वारा परेशान करने के लिए बार–बार एक ही आशय का आरोप लगाकर मुकदमा करते आ रही है। उक्त के आलोक में अपील वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का परिशीलन किया। संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के आदेशानुसार चौथम ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम–नवादा, वार्ड नं0–12 में केन्द्र सं0–153 मार्गदर्शिका के अनुसार आम सभा का आयोजन किया गया। वार्ड नं0–12 केन्द्र सं0–153 में पिछड़ा वर्ग बाहुल्य का 5 आवेदिका द्वारा आवेदन

दिया गया। 1. रीता कुमारी पति शंभू कुमार सिंह, 2.सुनीता कुमारी पति सुनील कुमार सिंह, 3. बेबी देवी पति शंभू कुमार, 4. सिजू रानी पति राजेश कुमार, 5. बेबी कुमारी पति ईश्वर ठाकुर। सभी आवेदिका का मेधा सूची प्रकाशित किया गया। सिजू रानी एवं बेबी कुमारी के पोषक क्षेत्र से बाहर होने के कारण उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। बेबी देवी आम सभा से अनुपस्थित थी। प्रथम स्थान की आवेदिका रीता कुमारी पति शंभू कुमार सिंह के बारे में आम सभा में आपत्ति उठाया गया कि रीता कुमारी का उम्र मतदाता सूची एवं प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में काफी अन्तर है। रीता कुमारी के बच्चे बड़े–बड़े हैं। लेकिन जन्म तिथि में अन्तर होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 1025 दिनांक 27.09.2013 के आलोक में रीता कुमारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र को सही माना गया क्योंकि वोटर लिस्ट में दर्ज उम्र को मानक नहीं माना गया। सुनीता कुमारी पति सुनील कुमार सिंह द्वारा उम्र में अन्तर से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए जिला पदाधिकारी, खगड़िया के आदेशानुसार रीता कुमारी पति शंभू कुमार सिंह के सर्टिफिकेट उम्र को सही मानकार आम सभा से चयन कर चयन पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 11.05 2015 को पारित आदेश में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि सेविका रीता कुमारी एवं उसकी पुत्री के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का संबंधित शैक्षणिक संस्थान से सत्यापन कराकर जो तथ्य सामने आता है, तदनुरूप चयन रद्द/स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाय। लेकिन रीता कुमारी एवं उनकी पुत्री के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित की गयी कार्रवाई से संबंधित कोई पत्र/रिपोर्ट अभिलेख में सलग्न नहीं है और न ही कोई जानकारी आज तक इस न्यायालय को किसी भी स्तर से उपलब्ध कराया गया है।

वादी कई तिथियों पर अनुपस्थित रहे। वादी के उपस्थिति हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किया गया। फिर भी वादी अनुपस्थित रहे। वादी के अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि इस संबंध में उन्हें और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा विपक्षी का उम्र प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात कही गयी है और विपक्षी की उम्र 55 साल होने की बात अपने अपील आवेदन में कही है अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षी के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि **26.06.1987** दर्ज है तथा उनकी पुत्री के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि **05.04.1990** दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ रीता कुमारी माता अमला देवी का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं दूसरा डेजी कुमारी का अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार संलग्न अंक पत्र रीता कुमारी के ...

भी कागजात या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उनका उम्र प्रवेश पत्र में अंकित उम्र सही है। विपक्षी रीता कुमारी द्वारा डेजी कुमारी के सम्बंध में कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि डेजी कुमारी उनकी पुत्री नहीं है।

उपरोक्त विपक्षी रीता कुमारी के पुत्री के मैट्रिक के अंक पत्र में दर्शाये गये उम्र से स्पष्ट होता है कि रीता कुमारी का उम्र अधिक है और प्रमाण पत्र में गलत उम्र दर्शाकर सेविका के पद पर चयन हुई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विपक्षी रीता कुमारी का गलत उम्र प्रमाण पत्र के आधार पर सेविका के पद पर चयन को रद्द किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार सेविका पद पर चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता
खगड़िया

समाहर्ता
खगड़िया